



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 पौष , 1943 (श०)

संख्या- 633 राँची, बुधवार,

22 दिसम्बर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

15 दिसम्बर, 2021

आदेश संख्या:-5/आरोप-1-93/2019 का० 8507--श्री बंका राम, झा०प्र०से०, तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-852, दिनांक 01.11.2019 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध अपने हस्ताक्षर से अवैध रूप से दिनांक 14.06.2018 को विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक, डालटनगंज में संधारित खाता संख्या-11112105417 से 12,60,00,000/- (बारह करोड़ साठ लाख) रुपये की निकासी कर गबन करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

2. श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए विभागीय अधिसूचना सं०-3777(HRMS), दिनांक 04.03.2020 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया गया ।

3. प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर, प्रमंडल, राँची के पत्रांक-1520/स्था०, दिनांक 14.09.2021 के माध्यम से श्री राम का आवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा निलंबन अवधि एक वर्ष से अधिक हो जाने के फलस्वरूप जीवन यापन भत्ता में बढ़ोतरी हेतु अनुरोध किया गया है।

4. श्री राम से प्राप्त आवेदन के समीक्षोपरांत झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10(क)(i) के तहत श्री बंका राम, झा०प्र०से०, सम्प्रति- दिनांक 04.03.2020 से निलंबित के जीवन निर्वाह अनुदान की देय राशि से 50% बढ़ाई जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव।
